

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक— प्र010 र0वि0अधि0-11/2020 **2677** खाद्य, पटना/दिनांक **16/7/2021**  
प्रेषक,

दयानन्द मिश्र, भा0प्र0से0,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,  
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:— रबी विपणन मौसम 2021-22 में गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए पैक्स/व्यापार मंडल को अनुमान्य आकस्मिक (Incidental) दर व्यय के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि रबी विपणन मौसम 2021-22 में गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार ने पत्र संख्या— 192(12)/2021-FC A/Cs दिनांक 28.05.2021 द्वारा गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ अधिप्राप्ति में संलग्न एजेंसियों के लिए विभिन्न मदों में आकस्मिक (Incidental) व्यय का प्रावधान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में रबी विपणन मौसम 2020-21 हेतु गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए पैक्स एवं व्यापार मंडलों को अधिप्राप्ति का दायित्व दिये जाने का निर्णय एवं भारत सरकार द्वारा आकस्मिकता के विभिन्न मदों में गेहूँ अधिप्राप्ति एजेंसियों को दिये जाने वाले व्यय में से पैक्स/व्यापार मंडल को कितनी राशि देय होगी इस विषय पर राज्य के नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम ने विभागीय पत्र संख्या— 2006 दिनांक 31.05.2021 के आलोक में अपने पत्र संख्या— 3720 दिनांक 01.06.2021 के माध्यम से अधिप्राप्ति अभिकरणों के लिए आकस्मिक (Incidental) व्यय दर का प्रस्ताव संसूचित किया गया है, जिस पर सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित आकस्मिक (Incidental) व्यय दरें संसूचित की जा रही हैं:—

| Sl. No | Incidental Charges                  | Approved Rate/Qtl. | Proposed Rate for payment to Pacs | Remarks                                               |
|--------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01     | MSP                                 | 1975.00            | 1975.00                           |                                                       |
| 02     | Commission to society               | 27.00              | 27.00                             | TDS 5% should be deducted on commission to society .  |
| 03     | Handling/Mandi Labour charges       | 7.95               | 7.95                              |                                                       |
| 04     | Transporatation charges             | --                 | --                                | Transporatation rate not finalized by Govt. of India. |
| 05     | Strorage Charges                    | 1.20               | 1.20                              |                                                       |
| 06     | Interest Charge @ 9.61% for 15 days | 7.24               | 7.24                              |                                                       |
| 07     | Administration Charges              | 49.38              | --                                |                                                       |
| 08     | Cost of New Guuny Bags              | 124.96             | --                                |                                                       |
| 09     | Transportation cost of Guuny Bags   | 1.75               | --                                |                                                       |
|        | <b>Acquisition Cost</b>             | <b>2,194.48</b>    | <b>2,018.39</b>                   | up to 30.06.2021                                      |
| 10     | Less : Storage Gain                 | 19.83              | 19.83                             |                                                       |
|        | <b>Total Cost Payable</b>           | <b>2,174.65</b>    | <b>1,998.56</b>                   | after 30.06.2021                                      |

अतः अनुरोध है कि तदनुसार अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों सहित सभी पैक्स/व्यापार मंडलों को इस निदेश से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र010 र0वि0अधि0-11/2020 2677 खाद्य, पटना/दिनांक- 16/7/2021  
प्रतिलिपि:- सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्धारित आकस्मिक व्यय दर को अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

V 16/7/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र010 र0वि0अधि0-11/2020 2677 खाद्य, पटना/दिनांक- 16/7/2021  
प्रतिलिपि:- सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

V 16/7/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र010 र0वि0अधि0-11/2020 2677 खाद्य, पटना/दिनांक- 16/7/2021  
प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रशासक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना/सभी जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी जिलों प्रभारी माननीय मंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

V 16/7/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र010 र0वि0अधि0-11/2020 2677 खाद्य, पटना/दिनांक- 16/7/2021  
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं सचिव कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

V 16/7/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र010 र0वि0अधि0-11/2020 2677 खाद्य, पटना/दिनांक- 16/7/2021  
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को ई0मेल तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

V 16/7/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।